इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या **- 3046** वर्ष **2026**

बुन्ना और एक अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मोहम्मद जमील अख्तर
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देना और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार, तहसील खड्डा, जिला गोरखपुर को मामला संख्या 179/2018, कंप्यूटर मामला संख्या T201805440500179 का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर किया गया एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अनुसार,

   (7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से *45* दिनों की अवधि के भीतर बिना विवाद वाले उत्परिवर्तन मामले का निर्णय करने का प्रयास करेगा तथा विवादित उत्परिवर्तन मामले का निर्णय *90* दिनों की अवधि के भीतर करेगा तथा यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और साथ ही पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन पर विचार करें और कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, इसके गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा करें, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

12 फरवरी, **2026**
प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"